

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी  
विंग, सेक्टर-10A गांधीनगर, गुजरात, 382010



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines

Office of Regional Controller of Mines  
Karmayogi Bhavan, 4<sup>th</sup> Floor, Block-2, Sector 10A,  
Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/E-mail:ro.gandhinagar@ibm.gov.in

फाईल संख्या/File No: MCDR-MiFLOBXT/144/2022-GNR-IBM\_RO\_GNR Mine Code: ID- दिनांक  
07GUJ14023 31.03.2023

सेवार्थे To: Owner/Agent/Manager/Mining Engineer E-mail: dipak18.patel@yahoo.com

प्रेषित: Shri Alimiya Imamali Saiyad  
FF16 Samruddhi Complex, Near LIC  
Office, Himmatnagar, District-  
Sabarkantha  
Gujarat 383001

विषय Sub: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your DEDHROTA BAUXITE over an area of 20.00 ha located near village- Dedhrota, Tehsil- Himatnagar, District- SABAR KANTHA in Gujarat.

महोदय Sir,

The following provisions of the Mineral Conservation & Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the MCDR inspection carried out by Sh. Snehalkumar Patel, AME on 18/01/2023.

RULE NO.	NATURE OF VIOLATION OBSERVED
11(1)	Plantation & Fencing were not carried out at the proposed location.
34A(1) read with rule 34A(5)	The submitted output/details of the drone survey were not found as per the SOP issued by IBM under rule 34A(5).

- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।
- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय Yours faithfully,

(मनीष गुप्ता /Manish Gupta)

सहायक खान नियंत्रक/Assistant Controller of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।(zo.udaipur@ibm.gov.in)
- आयुक्त, भूविज्ञान एवं खनन, निदेशालय, गुजरात को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । (cgm@gujarat.gov.in)
- MCDR/गार्ड फाइल

सहायक खान नियंत्रक/Assistant Controller of Mines